न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-408RAABarmer2025-204RTA223 Thanaram ors Vs Dhapudevi etc

01. थानाराम पुत्र धर्माराम
02. देदाराम पुत्र धर्माराम
03. भारूराम पुत्र धर्माराम
04. पोकरराम पुत्र धर्माराम
05. हुकमाराम पुत्र धर्माराम
06. पूराराम पुत्र भानाराम

जाति जाट निवासी भदराई पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर (राज०)।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धापूदेवी पत्नी नरसिंगाराम के वारिसानः–
   - 1.1. धूडी पुत्री धापू
   - 1.2. रुखमा पुत्री धापू
   - 1.3. शांति पुत्री धापू
   - 1.4. हीरो पुत्री धापू

   जाति जाट निवासी अरणीयाली तहसील धोरीमना जिला बार (राज०)
2. गवरी पत्नी धनाराम के वारिसान के वारिसान्ः–
   - 2.1. भैराराम पुत्र धनाराम
   - 2.2. हेमाराम पुत्र धनाराम

   जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
3. देवाराम पुत्र भानाराम
4. मालाराम पुत्र भानाराम
5. मगाराम पुत्र भानाराम
6. सिगरती विधवा सताराम जाति जाट निवासी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमना जिला बाडमेर ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 जुलाई 2025 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 175/2015 धापूदेवी व अन्य बनाम थानाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री महेन्द्र रामावत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 2/2

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 175/2015 अनवान धापूदेवी व अन्य बनाम थानाराम इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अगस्त 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो/वादीगण ने स्वयं को खातेदार मानी बेवा भीयाराम की वारिसान् बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम भदराई तहसील गुडामालानी हाल धोरीमना के खेत खसरा संख्या 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीगण/उत्तरदाता संख्या एक व दो का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम भदराई तहसील गुडामालानी हाल धोरीमना के खेत खसरा नंबर 03 रकबा 428 बीघा 09 बिस्वा भूमि का वक्त सेटलमेन्ट रतना वल्द मेहराज 1/2 और मानीदेवी विधवा भीयाराम 1/2 के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था। वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार मानीदेवी पत्नी भीयाराम का स्वर्गवास जून 1970 में हो गया था तथा खातेदार मानीदेवी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने 1/2 हक हिस्से की भूमि का वसीयतनामा अपीलांट थानाराम पुत्र धर्माराम के नाम से निष्पादित किया था, जिसकी पालना में पटवारी हल्का बोर चारणान द्वारा म्यूटेशन संख्या 31 अपीलांट थानाराम के नाम से भरा गया था तथा ग्राम पंचायत बोर चारणान ने थानाराम के नाम से उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया था। चूंकि उपरोक्त म्यूटेशन के आधार पर थानाराम पुत्र धर्माराम का नाम जमाबंदी में बतौर खातेदार दर्ज करने से रह गया था, जिसका फायदा उठाकर उत्तरदाता संख्या 01 व 02 ने उपरोक्त खातेदार मानीदेवी के वारिस बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। यह उल्लेखनीय है अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री काछबा राम को पैरवी हेतु नियुक्त किया और उन्हें उक्त म्यूटेशन और वसीयतनामे की नकले दी गई थी, परन्तु अधिवक्ता द्वारा जबाबदावा में उक्त म्यूटेशन और वसीयतनामे का हवाला ही नहीं दिया, न ही जवाबदावा अपीलान्टगण के कथनों के अनुसार प्रस्तुत किया, न ही अपीलान्टगण की तरफ से कोई साक्ष्य ही पेश की गई, न ही वादीगण/उत्तरदाता संख्या 01 व 02 के गवाहान से जिरह ही की गई और न ही अपीलान्टगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री होने का ज्ञान ही कराया। इस प्रकार अपीलान्टगण के अधिवक्ता ने सही तौर से पैरोकारी नही की और न ही अपीलान्टगण को साक्ष्य पेश करने का ही कहा। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में धारा 8 व 6 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम का हवाला देते हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के विपरीत पारित किये गये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली परा उपलब्ध दस्तावेज इएक्स–01 प्रथम खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से संवत् 2030 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात मृतका मानीदेवी पत्नी भीयाराम की स्वअर्जित भूमि थी, न कि वादीनीगण की पैतृक भूमि। वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान खातेदार मानीदेवी के नाम से जारी होने से वादग्रस्त आराजीयात उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जायेगी। खातेदार मानीदेवी पत्नी भीयाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/2 हिस्से की भूमि का वसीयतनामा अपीलान्ट संख्या 01 थानाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी भदराई के नाम से निष्पादित कर दिया था। उपरोक्त खातेदार मानीदेवी का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त वसीयत नामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 31 भरकर ग्राम पंचायत बोर चारणान के समक्ष प्रस्तुत किया। तब ग्राम पंचायत बोर चारणान ने अपीलान्ट संख्या 01 थानाराम के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो ईएक्स 10 है। उपरोक्त म्यूटेशन के आधार पर जमाबन्दी में इन्द्राज कर मानीदेवी के स्थान पर अपीलान्ट संख्या 01 थानाराम बतौर खातेदार दर्ज करने का कर्तव्य पटवारी हल्का व राजस्व अधिकारियों का था। अधीनस्थ न्यायालय उक्त दस्तावेज को अनदेखा करते हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधाना तब ही लागू होते है, जब किसी खातेदार की बिना वसीयत किये मृत्यु होती है। हस्तगत प्रकरण में खातेदार मानीदेवी ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट संख्या 01 थानाराम के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी तो धारा 30 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलान्ट थानाराम के नाम उपरौक्त म्यूटेशन संख्या 31 स्वीकृत किया था जो सही स्वीकृत किया था। उपरोक्त म्यूटेशन संख्या 31 को वादीनीगण/उत्तरादाता संख्या 01 व 02 ने इस वाद में चुनौती नहीं दी है और न ही उक्त म्यूटेशन की अपील सक्षम न्यायालय में पेश की है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं को ध्यान में रखे बिना ने आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी कानूनी भूल की गई है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत आवेदन मौका रिपोर्ट तलब करने, आवेदन अन्तर्गत आदेश 18 नियम 03 सीपीसी, आवेदन अन्तर्गत धारा 22 नियम 03 सीपीसी, प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 17 सीपीसी इत्यादि का निस्तारण नहीं किया गया है। वादीगण/उत्तरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपने वाद में घोषणा के साथ बंटवारा का भी अनुतोष चाहा है। अधिनस्थ न्यायालय को घोषणा का वाद डिक्री करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी, परन्तु इस वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार धोरीमना से कोई बंटवारा प्रस्ताव तलब नहीं किया, बल्कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सीधे ही उत्तरदाता संख्या 01 व 02 को फायदा पहुंचाने के लिए आलीच्य निर्णय व डिक्री पालना करने हेतु तहसीलदार धोरीमना को तहरीर जारी कर दी गई। ऐसी स्थिति में आलौच्य निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से निरस्त करने के काबिल है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 175/2015 अनवान धापूदेवी व अन्य बनाम थानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट्स को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किये जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2024(1)सीसीसी 010(राजस्थान), 2020(1)आर.आर.टी. 271, 1984 आर.आर.डी. 391 की न्यायिक नजीरें पेश की।

जवाब में उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पो. की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाबदावें में स्वयं को गोदपुत्र बताया है, जबकि हस्तगत अपील में स्व. मानीदेवी द्वारा अपने पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किये जाने के कथन किये गये है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष कोई वसीयतनामा प्रस्तुत नही किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि स्व. मानी देवी की फौतेदगी पर अपीलांट थानाराम द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम से नामांतरकरण दर्ज करवा लिया था, किंतु भाईयों में झगड़ा होने पर सभी भाईयों के नाम से नामांतरकरण दर्ज करवाया गया। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात धर्मा एवं भाना के सभी लड़कों के नाम से दर्ज है। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के समक्ष भी वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा केवल वादीनीगण/पुत्रियों का हिस्सा हड़प किये जाने के दुराश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद में अपीलांट्स को जवाब, साक्ष्य प्रस्तुति एवं जिरह का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों को प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ईएक्स–01 प्रथम खतौनी संवतः 2012 ग्राम भदराई तहसील बाड़मेर के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 03 रकबा 428.09 बीघा वक्त सेटलमें रतना वल्द मेहराज 1/2 हिस्सा एवं मानी बेवा भीया 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रही है। प्रदर्श–10 नामांतरकरण संख्या 31 के कॉलम संख्या 14 के मुताबिक खातेदार मानी बेवा भीया द्वारा दिनांक 24.02.1970 को थानाराम पुत्र धरमाराम के नाम से वसीयतनामा निष्पादित किये जाने पर खातेदारी मानी की फौतेदगी पर सरपंच बौर चारणान् द्वारा अपीलांट थानाराम के नाम वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सेटलमेंट खातेदार मानी के नाम दर्ज होने से उसकी स्वअर्जित संपति प्रकट होती है तथा उसे अपनी स्वअर्जित संपति के उपभोग एवं हस्तांतरण का कानूननी अधिकार प्राप्त था। उक्त वसीयत के प्रभाव मे रहते वादीनीगण को प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना केवल वादीनीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने प्रकट होते है।

अपीलांट्स का हस्तगत अपील में कथन है कि उनकी ओर से अपने अधिवक्ता को वसीयत एवं उसकी पालना में भरे गये नामांतरकरण की प्रति सुपुर्द की गई तथा उसी अनुसार जवाब प्रस्तुत किये जाने के कथन किये गये थे। अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स की ओर से समुचित पैरवी नहीं की गई है। इस संबंध अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त जवाब में वसीयतनामा के संबंध मे कोई कथन नहीं किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से न ही दस्तावेज प्रदर्श हुए तथा न ही गवाह्न प्रस्तुत हुए है, जिससे अपीलांट्स के उक्त कथनो की पुष्टि होती है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है तथा वादीनीगण द्वारा चाहे गये विभाजन के अनुतोष पर किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 175/2015 अनवान धापूदेवी व अन्य बनाम थानाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जून 2025 खारिज किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए मूल वाद का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश पारीक)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर